ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 3

मैं एक बार सोंच लिया तो पीछे नहीं हटता : लौंगी भुइंया

रविवारीय, 20 - 26 सितंबर 2020 वर्ष- दो, अंक-07, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

कोल इंडिया/सीसीएल की नयी स्कीम में पूर्व की भांति नौकरी देने का प्रावधान

रांची : कोल इंडिया एवं उसकी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्तादेने का विकल्प तैयार किया है। कोल इंडिया बोर्ड द्वारा विगत 02 सितम्बर, 2020 को अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि पूनर्वासन एवं पुर्नस्थापना के अंतर्गत 'कोल इंडिया एन्यूटी स्कीम 2020 का अनुमोदन किया गया जिसके अंतर्गत प्रभावित भू-स्वामियों को कम से कम दो हजार एवं अधिकतम तीस हजार रूपये प्रति माह दिये जायेंगे।

नयी स्कीम के अंतर्गत जहां पहले परिवार में सहमति होने पर किसी एक व्यक्ति को दो एकड़ के बदले नौकरी देने का प्रावधान था वहां अब मासिक भत्ते का भी विकल्प रहेगा जो उन्हें भूमि का कब्जा देने पर मिलेगा। यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए उपलब्ध रहेगा।

केंद्र सरकार के अपने सहयोगी भी कृषि विधेयक के विरोध में थे, केंद्र के अच्छे वादों और दावों के साथ मूल सवाल यही है कि क्या

अन्नदाता के दिन बहुरेंगे नये कृषि विधेयक से?

मुख्य संवाददाता

भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे किसान गरीब ही होता है। कभी किस्से कहानियों में भी एक अमीर किसान था जैसी बातें हम नहीं पढते। आजादी के सात दशक बाद भी सरकारें किसानों के लिये काम करने का दावा तो करती रही हैं पर यह हकीकत है कि देश के अन्नदाता की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हाल तक यूपी में गन्ना किसानों को सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, झारखंड में हर साल दर्जनों किसान कर्ज में डूब कर आत्महत्या कर लेते हैं और दो दिन पहले की खबर है कि मध्यप्रदेश में किसानों के चार रूपये से लेकर चालीस रूपये तक के ऋण माफी का प्रहसन हुआ है।

कृषि विधेयक दोनो सदनों से शोर शराबे के बाद पास हो गया। केंद्र सरकार जहां इसे किसानों के लिये एतिहासिक बता रही है वहीं विपक्ष इसे किसानों के भविष्य के लिये गुलामी वाला विधेयक बता रहा हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में इस विधेयक का विरोध किसानों ने किया है। लेकिन इन दो राज्यों को छोड़ कर देश के किसी अन्य राज्य में किसानों के द्वारा कोई बड़ा विरोध अब तक देखने को नहीं मिला है।

क्या है नये कृषि विधेयक में!

सरकार का दावा है कि नये कृषि विधेयक से किसानों की आय बढेगी और वह आढतियों, बिचौलियों और दलालों के चंगुल से मुक्त होंगे। किसान अपनी उपज को देश के किसी भी कोने में जहां उन्हें अच्छी कीमत मिले ले जाकर बेच सकेंगे वहीं एमएसपी पर सरकारी खरीद के खत्म करने की साजिश के विपक्ष के आरोप को कृषि मंत्री एवं प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर कहा कि किसानों से एमएसपी पर सरकारी खरीद पहले की तरह ही जारी रहेगी। इसके बावजूद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इस बिल को लेकर कई तरह की शंकायें जाहिर कर रहा है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष जब खुद सत्ता में था उसने इसी कृषि विधेयक का मसौदा तैयार किया था और वर्तमान कृषि विधेयक को ही पास कराने का प्रस्ताव दिया था।

यहां किसानों के साथ मूल शंका कांट्रैक्ट फार्मिंग की है। जिसे लेकर विपक्ष और इस बिल के विरोधियों का कहना है कि शुरूआत में भले कांट्रैक्ट फार्मिंग किसानों के लिये सही हो पर बाद में यह किसानों को कहीं का नहीं छोड़ेगा।इसका उदाहरण एक दो बार दिख भी चुका है

शंकायें और किसानों के लिये जोखिम के कारण

नये कृषि विधेयक में यह प्रावधान है कि किसान देश भर में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे, साथ ही कांट्रैक्ट फार्मिंग में खरीददार कंपनी, व्यावसायी से करार करके बताये गये फसल को किसान अपने खेतों में उपजायेंगे और उसे करार किये गये कीमत पर बेच सकेंगे? इसमें यह शंका जाहिर की जा रही है कि कुछ सीजन तक सही कीमत देने के बाद कंपनियां किसानों के फसल को घटिया बता कर खरीदने से मना कर देंगी। या इस प्रक्रिया में जब मंडियों से आढतियों का अस्तित्व खत्म हो जायेगा तब करार करने वाली बड़ी पार्टियां किसानों को औने पौने दामों में अपनी उपज बेचने को मजबूर कर देंगी। क्यों कि तब तक किसानों के पास कोई और विकल्प बचा हुआ नहीं रहेगा। सरकार इन सभी आशंकाओं को निराधार बता रही है, पर इन जोखिमों से बचाव का कोई लिखित उपाय नये बिल में नहीं बताया जा रहा है। यह सारे आश्वासन जबानी हैं। ऐसे में विपक्ष के तर्कों को भी पूरी तरह दरकिनार नहीं किया जा सकता।

झारखंड के लोहरदगा में सालों पहले किसी कंपनी ने उपज खरीदने के करार के साथ एलोवेरा की खेती एक महिला किसान से करवायी। अच्छी लागत और परिश्रम के बाद कंपनी उपज खरीदने के बजाय भाग गयी। ऐसे वाकये और भी हुये होंगे। लब्बोलुआब ये कि सरकार लाख दावे करे पर देश में हर रोज दसियो हजार लोग कृषि छोड़ रहे हैं और ये किसी संकट में ही छोड़ रहे हैं शौक से तो बिल्कुल नहीं।

एनटीपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक व उनके साथ अन्य अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड श्री हेमन्त सोरेन से भेंट की तथा विभिन्न बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया

पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईटीपी

रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का जिक्र किया गया है जहां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया है

- **सीईटीपी से निकल रहे एफ्लुएंट की गुणवत्ता तय सीमा से कहीं ज्यादा खराब थी और वो निरंतर नियमों को अनदेखा कर रहा था।**
- **सीईटीपी का हाइड्रोलिक लोड तय सीमा से कहीं ज्यादा था, साथ ही उससे निरंतर अवैध रूप से कचड़ा निकल रहा था।**
- **सीईटीपी में स्लज का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं हो रहा था, साथ ही उसमें निरंतरता का भी आभाव था।**
- **सीईटीपी की सभी प्रमुख ट्रीटमेंट यूनिट्स और स्लज जमा करने इकाइयां ठीक से काम नहीं कर रही थी।**
- **सीईटीपी का इनलेट और आउटलेट फ्लो मीटर की माप सही नहीं थी साथ ही उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था।**

तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पर दूसरी संयुक्त जांच रिपोर्ट 16 सितंबर, 2020 को आम जनता के लिए उपलब्ध कर दी गई है। यह रिपोर्ट एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत द्वारा तैयार की गई है। एनजीटी ने इस मामले में 22 सितंबर, 2019 और 26 सितंबर, 2019 को आदेश जारी किए थे।गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने सीपीसीबी को निर्देश दिया था कि वो एमपीसीबी के साथ मिलकर इस सीईपीटी की व्यापक निगरानी करे और उसपर हर तीन महीने के अंदर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट के अनुसार 12 मार्च, 2020 को संयुक्त जांच के समय इस सीईटीपी से विभिन्न नमूने लिए गए थे। जिनके विश्लेषण से पता चला है कि 13 नवंबर, 2019 को की गई पिछली जांच के बाद से इस प्लांट के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं आया है।

ओटीसी मैदान पर फिर से संकट

- **रांची सांसद संजय सेठ ने मैदान बचाने के लिये मुख्य सचिव को लिखा पत्र**
- **हेहल क्रिकेट अकादमी के सदस्यों ने भी ओटीसी मैदान को बचाने के लिये कमर कसी**

संवाददाता

रांची : ओटीसी मैदान पर फिर एक बार खतरा मंडरा रहा है। सूचना है कि भूमाफियाओं की नजर फिर से इस विशाल भूखंड पर है और इसे बेचने का प्रयास हो रहा है। सुधि पाठकों को याद होगा कि 8 दिसंबर 2019 अंक में ग्रीन रिवोल्ट ने इस मैदान के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित किया था।

पिस्का मोड़ से आगे हब्शी कैंप इलाके में चारो ओर वृक्षों से घिरा एक विशाल मैदान है जिसे ओटीसी मैदान कहते हैं। वर्तमान में इस पूरे इलाके में यही एक मैदान है जहां बच्चो से लेकर खेलप्रेमियों को जगह उपलब्ध है। कुछ साल पहले इस मैदान और इसके आस पास के भूखंड को बेच दिया गया था पर उस वक्त लोगों के विरोध और प्रबुद्ध लोगों की पहल से यह मैदान बच गया। तब इसके कैंपस में स्थित

हरमू मैदान, बिड़ला मैदान समेत रांची शहर के ज्यादतर ओपन स्पेस एवं खेल मैदानों पर है भूमाफियाओं की नजर

क्या है?ओटीसी मैदान की अंतर्कथा

मुख्य संवाददाता

रांची : हाल ही में मुख्य सचिव ने रांची में ओपन स्पेस और खुले और हरियाली वाले क्षेत्र डेवलप करने की बात कही है, पर हकीकत में रांची के ज्यादातर मैदानों नदियों पर अतिक्रमण से लेकर भूमाफियाओं की नजर है हरमू नदी के कैचमेंट तक में हाल ही में अतिक्रमण कर भवन बनाने

सरकार चाहे तो इसका आसान हल निकाल सकती है

रूपा शाहदेव के दावे को अगर सच माना जाये तो सरकार इस ओपन स्पेस को बचा सकती है। उससे यह जमीन लेकर अधिग्रहण उचित मुआवजा दे सकती है। हालांकि रूपा शाहदेव की माने तो इस ओर सरकार ने अब तक कोई

8 दिसंबर 2019 के अंक में ग्रीन रिवोल्ट में ओटीसी मैदान रांची पर प्रकाशित खबर

आवासों में बाहर से ताला मार कर किसी खरीददार ने इसकी जमीन पर अपना अधिकार जताया था। और बहुत विरोध और मामले के कोर्ट मेंजाने के बाद ही इसके बिक्री पर रोक लग सकी थी। आज फिर से यह चर्चा है कि इस मैदान को बेचने की तैयारी हो रही है जिसे लेकर सांसद संजय सेठ तक पत्र लिख रहे हैं मैदान को बचाने का प्रयास हो रहा है।

किसका मालिकाना हक है ओटीसी के आस पास की जमीन पर?

ग्रीन रिवोल्ट ने जब पिछली बार ओटीसी मैदान के बारे में खबर प्रकाशित की थी। उस वक्त यह दावा किया गया कि यह सारी जमीन स्व. दलीप शाहदेव की है जिसे उनके पुरखों ने विश्वयुद्ध के समय अंग्रेजों को सैनिकों के लिये किराये पर दिया था। यहां हब्शी सैनिकों के बैरक बनाये गये थे इसलिये इसे हब्शी कैंप नाम से जाना जाता है आजादी के बाद भारत सरकार ने इस जमीन को ले लिया और इसमें सरकारी गोदाम, सर्ड का कार्यालय, स्कूल तथा अतिक्रमण कर ढेर सारे मकान बना लिये गये हैं। दिलीप शाहदेव की पत्नी आज भी मालिकाना हक के लिये केस लड़ रही हैं और उनका कहना है कि मुझे खुशी होगी अगर सरकार मुझे मुआवजा देकर ओटीसी मैदान को अधिग्रहित कर उसे खेल मैदान के रूप में विकसित करे। फिलहाल सच्चाई भविष्य के गर्भ में है।

गुजरात के अलंग में जहाज तोड़ने से पर्यावरण को कोई बड़ा नुकसान नहीं

एजेंसियां

नौसेना के सेवानिवृत जहाज आइएनएस विराट को गुजरात के अलंक ले जाया जा रहा है ताकि उसे तोड़ा जा सके। गुजरात का अलंग देश विदेश के जहाजों को तोड़ने के लिये ही प्रसिद्ध है।

हाल में पर्यावरण के प्रति सजगता बढी है ऐसे में कई हलकों से यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या अलंग में जहाजों को तोड़ने से लोगों आर वहां के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है? इसकी जांच की भी मांग की गयी थी। जांच के बादकेंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष गुजरात के अलंग में जहाज को तोड़ने (शिप ब्रेकिंग) के तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 17 सितंबर, 2020 की यह रिपोर्ट 19 अगस्त, 2019 के एनजीटी के आदेश के अनुपालन में प्रस्तुत की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य तौर पर, अलंग के तटीय जल की पारिस्थितिकी भावनगर और दहेज के आसपास के क्षेत्र के समान देखी गई और इसकी तुलना अलंग क्षेत्र में 2007-08 के पहले के अध्ययनों से की गई। पानी की गुणवत्ता, तलछट की गुणवत्ता और जैविक विशेषताओं पर जहाज तोड़ने की गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन (पीएचसी) और कुछ धातुओं के उच्च सांद्रता को दर्शाने वाले एक निश्चित अंतर्ज्वारिय (इंट-रडाइडल) क्षेत्र को छोड़कर अधिक नहीं था।

फाइटोप्लांकटन और ज़ोप्लांकटन में प्राकृतिक परिवर्तनशीलता दिखाई दी और जहाज तोड़ने की गतिविधियों से ये प्रभावित नहीं दिखे। इंटरटाइडल मैक्रोबॉन्थिक फॉना पर जहाज-ब्रेकिंग गतिविधियों का अलंग में स्थानीय प्रभाव देखा गया। जैव संचय के परिणाम बताते हैं कि लोहा (एफई) को छोड़कर सभी धातुओं की एकाग्रता मानव उपभोग के लिए तय मानकों के अंदर पाए गए।

रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि अलंग की पारिस्थितिकी पर जहाज तोड़ने की गतिविधियों के प्रभाव की पुष्टि करने के लिए, दीर्घकालिक निगरानी आवश्यक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के संबंध में शिप रिसा-इकिलिंग यार्ड में महत्वपूर्ण सुधार देखे गए।

जहाज तोड़ने वाले अधिकांश श्रमिकों की क्षेत्र में रहने की सुविधा, बुनियादी ढांचे और स्वच्छता के संबंध में ठीक नहीं थे। हालांकि लगभग 70 फीसदी रीसाइक्लिंग यार्डों ने ग्रीन श्रेणी के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) के अनुपालन को अपनाया है, प्रदूषण को कम करने और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई यार्डों को अपग्रेड करने की आवश्यकता है।

कई जानकारों का कहना है कि चीन ने जहाज तोड़ने के व्यवसाय पर एकाधिकार के लिये भी यहां अलंग का मुद्दा उठाया था जबकि अलंग हजारों लोगों को रोजगार देता है।

लैंड म्यूटेशन बिल के बजाय अंचलों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे

मनोज शर्मा

रांची : झारखंड में लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में ठन गयी है। आम आदमी भी इस बिल को लेकर संशकित है। दरअसल सरकार के इस बिल का एक संदेश जो निकल कर आया है कि इस बिल के बाद भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। जिससे सबों को लग रहा है कि पहले से ही अंचल के निरंकुश अधिकारियों को और खुल्ली छूट मिल जायेगी?

झारखंड जैसे राज्य में जहां जमीन की खरीद बिक्री में बहुत सारे कायदे कानून हैं, आदिवासियों की जमीन को खरीदने पर रोक है और तो और यहां जमीन के प्रकार भी बहुत हैं जिनपर अलग - अलग नियम कानून लागू होते हैं। भुइंहरी, खुटकट्टी से लेकर राजी परहा वगैरह जिसे कोई अच्छा जानकार ही ठिक से समझ सकता है।

झारखंड में अंचल कार्यालय और सीओ ये दो नाम ऐसे है जिसे सुन कर लोगों के मन में एक खटास पैदा हो जाती है। कारण बिल्कुल स्पष्ट है। यहां अंचलों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी चरम पर है और कस्बाई अंचलों में वाजिब काम के लिये भी रिश्वत मांगना आम बात है। कमाल की बात हैकि इसमें कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर सीओ तक खुद शामिल रहे हैं। मेरा खुद का अनुभव है कि दाखिल खारिज के बिल्कुल ही साफ सुथरे आवेदन में भी अंचल में एक रेट बंधा हुआ है। उस रेट को देने पर ही कर्मचारी उस दाखिल खारिज को पूरा होने देता है, वर्ना आवेदक को दौड़ाया जाता है। इस बाबत जब सीओ से पूछा गया तो उस–ाका कहना है कि ये सब बदला नहीं जा सकता , हम ऐसे ही काम करेंगे।

अंचलों के कारगुजारियों पर नकेल कसने के प्रति सरकारें भी उदासीन रही हैं। याद किजिये पिछली सरकार में बरकट्ठा के एक अंचल अधिकारी पर सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई की तो पूरे राज्य में अधिकारियों ने एकजुट होकर सरकार को काम ठप्प करने की धमकी दी और सरकार को अंततः झुकना पड़ा।

रांची के हेहल अंचल में कुछ साल पहले एक सीओ पर जमीन के म्यूटेशन और रजिस्ट्री करने संबंधित गंभीर आरोप लगे थे। अंततः उस पर कार्रवाई के बजाय उस अधिकारी की सेवा उसके मूल विभाग को वापस कर दी गयी।

झारखंड में कई भूखंडों को बेचने खरीदने पर कानूनन रोक है। राजधानी में ही गौर करें तो आप पायेंगे कि जिस खास भूखंड के बिकने की आप ने कल्पना तक नहीं की थी

उस पर एकाएक अपार्टमेंट खड़े होने लगते हैं और इस पर सर्वत्र चुप्पी रहती है। इस चुप्पी का अर्थ जनता निकालती रहे पर ये हकीकत है कि इन मामलों में अंचल के बगैर घालमेल के कुछ भी संभव नहीं हो सकता।

ऑनलाइन सिस्टम कितना कारगर?

वर्तमान में जब से दाखिल खारिज और जमीन की प्रकृति रकबा नक्शा इंटरनेट पर उपलब्ध कराया गया है। प्रारंभ में अंचलों में कर्मचारियों का कहना था कि इससे तो बेहतर पुराना मैन्युअल सिस्टम ही था। दरअसल ऑनलाइन होने से कोई भी व्यक्ति रजिस्टर टू देखने के अलावा, अपने जमीन का रकबा, प्रकार, नक्शा सब कुछ देख सकता है। साथ ही कोई भी व्यक्ति म्यूटेशन के लिये ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकता है। इस सिस्टम के होने से आम लोगों को कुछ लाभ अवश्य हुआ है, पर ऑन लाइन हर चीज का निराकरण नहीं है। शहर के कई अंचलों में ही सब कुछ सही रहने , रजिस्टर टू में रिकार्ड के रहने बकाया दिखने के बावजूद लगान कटने में समस्यायें हैं और अंचल में जाकर इसके लिये आवेदन देने पर मामला महिनों तक लंबित रहता है। इस समस्या के निराकरण के लिये रांची में हीं कई बार कैंप तक लगाये गये, पर जहां ये समस्या थी वहां आज भी वैसे ही हैं। इन कैंपों के आयोजन से अंचल के कर्मचारी भी खिन्न रहते हैं उनका रवैया लोगों के साथ असहयोगात्मक रहता है। अभी तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि अंचलों में ऑनलाइन डाटा में भी हेर फेर कर दी जा रही है। इसे लेकर हाल में खबरें भी प्रकाशित होती रही हैं। ऐसे सैकड़ो मामले झारखंड में हैं जिसमें अवैध तरीके से रजिस्ट्री कर जमीन का दाखिल खारिज तक कर दिया गया। पहले भी इन मामलों पर पर कार्रवाई के बजाय लीपापोती होती रही है और नये लैंड म्यूटेशन बिल से संभवतः अधिकारियों को कानूनन गलत करने का लायसेंस मिल जायेगा।

अब सरकार का ये कहना कि गलत करने वाले अधिकारियों पर सरकार चाहे तो कार्रवाई कर सकती है? सरकार के इस दलील से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे सरकार आखिर कब चाहेगी और क्यों चाहेगी? आखिर लैंड म्यूटेशन बिल की क्या आवश्यकता है? गलत करने वाले अधिकारियों को आखिर बचाने के लिये कोई बिल लोगों को हताश कर रहा है। कुछ बड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बिल से अधिकारियों को प्रताड़ना से बचाया जा सकेगा। ऐसे में मूल सवाल है कि अधिकारियों की प्रताड़ना कौन करता है? और उनके प्रताड़ना की आखिर नौबत क्यों आती है?

इंडियन डिवाइन यूथ एसोसिएशन गायत्री परिवार समूह ने पौधरोपण कार्यक्रम किया

रांचीःअखिल विश्व गायत्री परिवार संस्थान रांची की प्रगतिशील एक सक्रिय सशक्त समूह दीया रांची की ओर से पौधरोपण कार्यक्रम का आज सातवां सप्ताह है । इसमें यूवाओं के साथ साथ बाल संस्कारशाला केन्द्र के बालक गणों ने भी सहयोग किया।वे घर के आस-पास वृक्षा रोपण किया है । डोरंडा मजिस्ट्रेट कालोनी और बरियातू में डाक्टर जे शरण कालोनी क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं , जिसमें नीलांचल और श्रेया का साथ पड़ोसी लोगों ने भी सहयोग किया।

20 सितंबर को 11 प्लांट लगाए गए हैं ! जिसमें गिलोय , अशोक, अमरूद, आंवला ,पपीता जैसे पौधों का रोपण किया गया है और स्थानीय लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की कि वृक्षारोपण कितना जरूरी है , आज हमारे लिए और समाज के लिए स्वस्थ रहने के लिए ।लोगों ने सकारात्मक सहमति जताई और इसे आज की आवश्यकता एवं परिस्थितियों में महान कार्य बताया।

आगे भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने का मंगलकामनाएं करते हुए सम्पन्न किया गया। इस कार्यक्रम में नीलांचल श्रेया राय, ईशान कुमारी, पायल कुमारी समूह सदस्यों ने भागीदारी की।

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

संपादकीय

अन्याय न हो अन्नदाता के साथ

हमारे कृषि प्रधान देश में हर रोज दस हजार लोग खेती छोड़ कर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं। लाख नियम कानून और भाषण के बाद भी झारखंड में ही हर रोज कृषि योग्य भूमि किसानों के मन या बेमन से कब्जायी जाती है और वहां कंक्रीट जंगल उगने शुरू हो जाते हैं। अब तो राज्य में ये प्रयास भी हो रहा है कि जमीन के म्यूटेशन में अपराध करने वाले अफसरों पर कोई कार्रवाई ही न हो।

देश में पहले भी किसानों के लिये आसमान से तारे तोड़ कर लाने के वादे सरकारें करती रही हैं, पर हमारा किसान पहले भी गरीब था आज भी गरीब है। किसी कहानी में भी किसान को हम एक गरीब किसान था वाक्य से ही पहचानते हैं।

उसके उपज के लिये आज भी कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं होता, वह ज्यादा कीमत देकर खाद, बीज खरीदता है। साग सब्जियां अगर महंगी हो गयीं तो सबसे पहले महंगाई का शोर होता है। केंद्र सरकार का दावा है कि नये कृषि विधेयक से किसानों की स्थिति बेहतर होगी। उन्हें फसलों का उचित मूल्य मिलेगा, आढतियों की मनमानी खत्म होगी, वह देश में जहां चाहें वहां ले जाकर फसल और उपज को बेच सकेंगे। यह सब सुनकर एक खुशहाल किसान की तस्वीर तो मन में उभरती है, पर आज तक यह सब जमीन पर नहीं उतरा।

बिहार में 80 के दशक में किसानों को सरकार ने कर्ज पर सिचाई मशीन उपलब्ध करवाये थे। तब उस पांच हजार की सिंचाई मशीन के एवज में किसानों को बीस बीस हजार तक चुकाने पड़े थे और कईयों को खेत बेच कर यह ऋण चुकता करना पड़ा था। कई जेल गये, कई ऋण वसूली के भय से भागते फिरे थे और यह सब सरकार के ऋण के चलते हुआ था। सरकार तब किसी सूदखोर महाजन से भी क्रूर अंदाज में थी। हालांकि तब से लेकर आज तक में बहुत कुछ बदला है, पर अभी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है।

नये कृषि विधेयक में केंद्र सरकार का कहना है कि कांट्रेक्ट फार्मिंग से किसानों को उनके उपज की सही कीमत मिलेगी और किसानों को अपने भूमि को खोने का कोई भय नहीं है, सरकारी खरीद भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। लेकिन सबसे मूल बात कि नये कृषि विधेयक के बारे में कई बातें जो तौर पर जबानी कही जा रही हैं वह विधेयक में लिखित में नहीं हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि किसानों के साथ कोई छल नहीं होगा? वैसे भी भारत में किसानों के साथ सरकार से लेकर, माफियाओं, बैंकों और घाघ व्यापारियों के छल का पुराना इतिहास है। और ये धोखे चुपचाप दफ़्न होते गये ,किसी ने खुलकर आवाज नहीं उठायी। इसलिये आवश्यक है कि किसानों के साथ कोई छल न हो?

विश्व को संकट में डाल खुद स्वच्छ हो रहा अमेरिका

एजेंसियां

पिछले 4 वर्षों के दौरान डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के पर्यावरण संबंधी कई समझौतों से अलग होने के बावजूद अमेरिका इससे होने वाले नुकसान की सफलतापूर्वक भरपाई करने में कामयाब रहा है। ऐसा होने से अमेरिका के लिए वर्ष 2050 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश बनने की संभावनाएं जिंदा हैं, बशर्ते वर्ष 2021 में जलवायु संबंधी पुरजोर संघीय योगदान को संभव बनाया जा सके। 'अमेरिकाज प्लेज' के चौथे अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है। पूर्व गवर्नर एडमंड जी ब्राउन जूनियर और ब्लूमबर्ग एलपी एंड ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज ऑफिस के संस्थापक माइकल आर. ब्लूमबर्ग ने आज इस अध्ययन की रिपोर्ट का विमोचन किया। 'डिलीवरिंग ऑन अमेरिकाज़ प्लेज : अचीविंग क्लाइमेट प्रोग्रेस इन 2020' शीर्षक वाली इस अध्ययन रिपोर्ट में भविष्य की जलवायु तथा ऊर्जा संबंधी हमारे नजरिए पर कोविड-19 महामारी के पड़ने वाले असर का विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा पिछले तीन साल के दौरान अमेरिका के राज्यों, शहरों तथा कारोबार में जलवायु संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति का आकलन भी किया गया है। 'वी आर स्टिल इन टू डिलीवर ऑन अमेरिकाज़ प्लेज : अ रेट्रोस्पेक्टिव' शीर्षक से इस आकलन को 'वी आर स्टिल इन' के सहयोग से प्रकाशित किया गया है।

ब्लूमबर्ग एलपी और ब्लूमबर्ग फिलैंथरोपीज के संस्थापक, अमेरिकाज़ प्लेज के मौजूदा अध्यक्ष और न्यूयार्क सिटी के तीन बार मेयर रह चुके माइकल ब्लूमबर्ग ने कहा "अमेरिकाज़ प्लेज की ताजा रिपोर्ट यह जाहिर करती है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पेरिस समझौते से अलग होने के फैसले और पिछले चार साल के दौरान अमेरिकी सरकार के जलवायु परिवर्तन संबंधी अनेक समझौतों से अलग होने के बावजूद अमेरिका के राज्यों, नगरों और कारोबारी इकाइयों ने मिलजुल कर काम करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रगति का सिलसिला जारी रखा है। मगर रिपोर्ट यह भी बताती है कि हम व्हाइट हाउस के नेतृत्व में और अधिक तेजी से कहीं ज्यादा काम कर सकते हैं। यही वजह है कि नवंबर में देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिहाज से भी सबसे महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है।

अमेरिकाज़ प्लेज के सह अध्यक्ष और कैलीफोर्निया के पूर्व गवर्नर जेरी ब्राउन ने कहा "पश्चिमी अमेरिका के हिस्सों में भड़की अभूतपूर्व आग और राष्ट्रपति ट्रम्पक के जलवायु संरक्षण संबंधी समझौतों से इनकार के बीच अमेरिकाज़ प्लेज हमें एक रास्ता दिखाता है। अमेरिका के विभिन्न राज्य, शहर और कारोबारी इकाइयां पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के साथ-साथ चेतावनी

भी जारी कर रही हैं। हमारे भविष्य पर ग्रहण लगा रहे नुकसानदेह कार्बन उत्सर्जन को रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम और कुछ नहीं हो सकता। यहां तक कि कोविड-19 महामारी और आर्थिक मंदी के बावजूद अमेरिका के राज्यों, नगरों और कारोबारी इकाइयों द्वारा जलवायु संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति को धीमा नहीं होने दिया। इस साल का अध्ययन यह जाहिर करता है कि कोविड-19 महामारी और मंदी की चुनौतियों के बावजूद अमेरिका अक्षय ऊर्जा रूपांतरण के मामले में एक अपरिवर्तनीय टिपिंग प्वाइंट पर पहुंचने में सफल रहा है। अमेरिकी राज्यों के प्रशासन तथा स्थानीय नेताओं द्वारा उठाये गए अभूतपूर्व और साहसिक कदमों, बाजार की शक्तियों में निर्णायक बदलाव और जनता की भारी मांग की वजह से ऐसा हो सका।

अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सकारात्मक कार्य प्रगति और बाजार से मिल रहे संकेतों के बावजूद संघीय सरकार और गैर संघीय प्रशासनिक इकाइयों की तरफ से एक समन्वित और मजबूत प्रयास करना अभी बाकी है ताकि उन लक्ष्यों के लिए जरूरी स्वच्छ समाधान को वांछित रफ्तार और पैमाने पर लागू किया जाए जिन्हें वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन के बदतर प्रभावों को टालने के लिए जरूरी बताया है।

पिछले 3 वर्षों के दौरान संघीय सरकार के विरोध के बावजूद अमेरिका के गैर संघीय नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए क्षेत्रवार प्रयासों को दोगुना कर दिया है, जिसकी वजह से देश में प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिली है। इस वक्त हर तीन में से एक अमेरिकी नागरिक 100% स्वच्छ बिजली की इच्छा रखने वाले समाज में जीता है। तीन साल पहले सिर्फ हवाई और 33 अन्य शहरों ने 100% स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी संकल्पबद्धता जताई थी। अमेरिका के 16 राज्यों में सम्भा वित ग्रीन हाउस गैस एचएफसी के इस्तेमाल को चरणबद्ध ढंग से कम करने के नियम-कानून या तो पारित किए हैं या फिर पारित करने का संकल्प किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार भी दोगुना हो गया है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी ने जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के प्रयासों पर कोई विपरीत असर नहीं डाला है। अमेरिकाज़ प्लेज ने पांच ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें वर्ष 2030 तक प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन में भारी कमी लाने की संभावना है। इन क्षेत्रों में बिजली, परिवहन, निर्माण, मीथेन और एचएफसी शामिल हैं। वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में कमी लाने की महत्वाकांक्षा पूरी करने में इन क्षेत्रों की क्षमता को लेकर विश्वास में बढ़ोत्तहरी हुई है। इसमें निर्माण क्षेत्र एक अपवाद है, जिसमें विश्वास का भाव बिल्कुल नहीं बदला है।

अमेरिका 100% प्रदूषण रहित बिजली उत्पादन की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रदूषण रहित ऊर्जा के मजबूत मूलभूत आर्थिक तत्वों की वजह से ऊर्जा का उत्पादन कोयले से हटकर अक्षय माध्यमों की तरफ लगातार रुख कर रहा है जो यह जाहिर करता है कि हमने ऊर्जा रूपांतरण के टिपिंग पॉइंट को पार कर लिया है। हालांकि कोविड-19 महामारी और आर्थिक मंदी ने अक्षय ऊर्जा की कुछ परियोजनाओं और ऐसी ऊर्जा से संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन की रफ्तार कुछ धीमी कर दी है, मगर राज्यों, नगरों और कारोबारी इकाइयों द्वारा उठाए जा रहे नए कदमों और जताए जा रहे संकल्पों से इस बात की संभावना है कि आने वाले दशक में यह अभियान तेजी से जारी रहेगा।

परिवहन के क्षेत्र में मध्यम और हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में तेजी से हो रही तरक्की और यातायात में दीर्घकालिक कमी की संभावना के मद्देनजर ऐसी उम्मीद है कि इससे मौजूदा नकारात्मक जन परिवहन रुझान बेअसर हो जाएंगे। कोविड-19 महामारी के बाद अमेरिका अब 'न्यू नॉरमल' से तालमेल बैठा रहा है और रिमोट वर्किंग तथा ई-कॉमर्स के कारण व्यवहार में हो रहे बदलावों के चलते अमेरिका में यात्रियों द्वारा किए जाने वाले सफर में 10% तक की स्थाई कमी हो सकती है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो नए स्रोतों से मीथेन गैस के उत्सर्जन में भी खासी गिरावट आएगी। प्रमुख जोखिम और अनिश्चितताएं बनी हुई हैं क्योंकि नियामक रुझान पैच वर्क जारी रखे हुए हैं और मौजूदा स्रोतों से उत्सर्जन में बढ़ोत्त री नजर आ रही है। खासतौर से बेकार पड़े कुओं से।

हाल के रुझानों से ऊर्जा उपयोग के निर्माण पर कोई उल्लेखनीय दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। कुछ क्षेत्राधिकारों में महामारी के कारण पैदा हुई आर्थिक मुश्किलों को दूर करने के लिए दक्षता के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जा रहा है। अन्य क्षेत्राधिकारों में कोविड-19 और आर्थिक मंदी ने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, वित्तीय निवेश और नीतियों के लागू करने पर रोक लगा दी है। नई और मौजूदा इमारतों के विद्युतीकरण की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। हालांकि कुछ राज्यों में विद्युतीकरण की नीतियों को राजनीतिक रुकावटों का सामना करना पड़ा है।

राज्य और व्यावसायिक इकाइयां अत्यधिक प्रदूषणकारी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) में कटौती कर रही हैं। अब तक 16 राज्यों ने एचएफसी नीतियों को पारित किया जाना प्रस्तावित किया है। व्यावसायिक इकाइयां जलवायु के अनुकूल रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग समाधानों में निवेश कर रही हैं और उद्योग ऐसे संघीय कानून पर जोर दे रहे हैं जिसमें उच्च ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली एचएफसी के इस्तेमाल को चरणबद्ध ढंग से खत्म करने की व्यवस्था हो। नतीजे में एचएफसी उत्सर्जन में कमी आएगी जो एक साल पहले जताई गई उम्मीदों से ज्यादा होगी।

निशांत सक्सेना द्वारा प्रेषित

पर्यावरण बने मुख्य चुनावी मुद्दा

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड की मार से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है। और हालात बेहतर करने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाला प्रदेश, महाराष्ट्र, महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हालाँकि देश की सबसे बड़े औद्योगिक राज्य और भारत की वित्तीय राजधानी, महाराष्ट्र में आज चरम जलवायु प्रभावों से खुद ही जूझ रही है।

अनियोजित शहरीकरण और तेजी से बिगड़ती वायु गुणवत्ता से घिरी मुंबई महानगरी प्रकृति की इस मार के बाद बिना प्रकृति का हाथ पकड़ नहीं उठ सकती है । ऐसा मानना है तमाम विशेषज्ञों का जो आज, इंटरनेशनल क्लीन एयर डे, के मौके पर देश की अर्थ व्यवस्था को बिना पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाए कैसे सुधार जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे।

इस चर्चा का आयोजन पर्पज़ (Purpose), क्लाइमेट लैब, असर(अर२१), सोशल इम्पैक्ट एड-वाइजर्स और क्लाइमेट ट्रेंड्स ने इसकी मेजबानी के लिए इंडिया क्लाइमेट कोलैबोरेटिव के साथ मिलकर किया। अपनी बात रखते हुए, प्रख्यात पर्यावरणविद, बिट्टू सहगल, ने कहा, ''कोविड ने हमें एहसास दिला दिया है कि अर्थ व्यवस्था कितनी ज़रूरी है। इस कद्र की आज हम अर्थ व्यवस्था को पूज रहे हैं। लेकिन विडम्बना देखिये कि इसी अर्थ व्यवस्था की पूजा ने हमें जलवायु परिवर्तन जैसा फल दिया।'' अपनी बात समझाते हुए बिट्टू कहते हैं, ''हमारी प्राक्रतिक सम्पदा ही न सिर्फ़ हमारी सबसे बड़ी पूँजी है, यह सम्पदा हमारी आर्थिक संरचना और उसका पूरा ढांचा है। लेकिन अब तक हुआ

इसके ठीक उलट है। हम बाँध बनाते गए और यह भूल गए की उस बाँध के पास की प्राक्रतिक सम्पदा का क्या हो रहा है।''

उनकी बात को बल देते हुए इंडिया क्लाइमेट कोलेब्रेटिव की कार्यकारी निदेशक श्लोका नाथ ने कहा, ''अब वक़्त है यह सोचने का नहीं की अर्थव्यवस्था या पर्यावरण में किसे चुनें। अब वक़्त है कि कैसे पर्यावरण और अर्थ व्यवस्था को साथ ले कर चलें। जलवायु परिवर्तन हमारे दरवाज़े खड़ा है और कोविड जैसी महामारी के बाद तो उससे और भी मूंह नहीं मोड़ सकते।इस बात पर बिट्टू कहते हैं, ''अब जलवायु परिवर्तन को चुनावी मुद्दा बनने का वक़्त आ गया है। क्यूंकि जब इससे वोट जुड़ेगा, तब ही हमारे नीति निर्माता इसे एक प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे।''

वोट और चुनावी मुद्दे के तर्क को समझाते हुए वो आगे कहते हैं, ''यह पूरा मुद्दा हमारा और आपका है। कमान हमारे हाथ में ही होनी चाहिए। जब हम इसे अपना मानेंगे तब ही नीति निर्माता इस पर ध्यान देंगे और बेहतर फैसले लेंगे। लेकिन जब हमारे फैसले कोई और लेगा तो हमारा नुकसान ही होगा। मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र की तटीय सम्पदा ही लीजिये। इसका जितना ख्याल हमारे मछुआरे रख सकते हैं उतना कोई नहीं। वो परम्परागत रूप से न सिर्फ़ तटीय इलाकों पर निर्भर हैं, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील भी हैं। तो अगर हमें अपनी तटीय सम्पदा को बचाना है तो सरकार को उसकी बागडोर फ़ौरन मछुआरों को देनी होगी। न सिर्फ़ अर्थ व्यवस्था सुधरेगी, उनकी सम्वेदनशीलता के चलते पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा।'' अर्थ व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए एस4एस टेक्नोलॉजी के संस्थापक निधि पन्त ने कहा कि एक उद्यमी के तौर पर उनका अनुभव रहा है कि चीज़ें सुधरी तो काफ़ी हैं लेकिन अब भी काफ़ी कुछ सुधारने की गुंजाइश है। वो कहती हैं, ''क्लीन टेक्नोलोजी में सक्रिय उद्यमियों को बेहतर संस्थागत और आर्थिक ढांचा दिलाने की ज़रूरत है। जब ऐसे उद्यम पनपेंगे तब ही पर्यावरण अनुकूल नौकरियां और अर्थ व्यवस्था पनप पायेगी।

इस मुद्दे पर श्लोका निधि के साथ खड़ी दिखीं। उन्होंने कहा, ''परम्परागत आर्थिक नीतियां इस नए परिवेश में प्रासंगिक नहीं। अब वक़्त है पर्यावरण के चश्मे से अर्थ व्यवस्था को देखने का। भारत को ब्रिटेन की तर्ज़ पर एक ग्रीन फायनेंस टास्क फ़ोर्स के बारे में सोचना चाहिए और एक बेहतरीन और नई आर्थिक रणनीति की ज़रूरत है जो क्कोविद महामारी के बाद देश की अर्थ व्यवस्था को पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उबार पाए। आगे महेंद्र समूह के चीफ सस्टेनेबिलीटी अधिकारी अनिरबन घोष और हिंदुजा फाउंडेशन के चीफ पॉल अब्राहम ने ग्रीन रिकवरी के दूसरे आयामों पर चर्चा की।

अंततः, सभी प्रतिभागी इस बात के लिए एक मत दिखे कि बिना प्र-कृति के आगे सर झुकाए हम अर्थव्यवस्था का सर नहीं उठा सकते।

इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए ज्यादा हानिकारक

इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर्यावरण के दृष्टिकोण से ज्यादा हानिकारक होता है। यदि इसके निर्माण की बात करें तो वो स्वास्थ्य पर भी व्यापक असर डालता है। यदि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ़ ईयर के आधार पर देखें तो इसके निर्माण में लगे मजदूरों पर 10 घंटों की विकलांगता जितना असर डालता है जोकि सामान्य टूथब्रश से पांच गुना ज्यादा है।

इस विश्लेषण से पता चला है कि प्लास्टिक के टूथब्रश जिनके हेड को बदला जा सकता है और बांस के बने टूथब्रश का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव पारंपरिक प्लास्टिक टूथब्रश और इलेक्ट्रिक टूथब्रश की तुलना में काफी कम होता है। शोधकर्ताओं को मानना है कि इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष लोगों की सही टूथब्रश का चुनाव करने और स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतियों को लागु करने में किया जा सकता है जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को सीमित किया जा सके।

शोध के अनुसार आम प्लास्टिक टूथब्रश की तुलना में इलेक्ट्रिक टूथब्रश पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कहीं ज्यादा हानिकारक होता है

हाल ही में ट्रिनिटी कॉलेज के शोधकर्ताओं ने यह जानने का प्रयास किया है कि पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन सा टूथब्रश सही है। इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने बाजार में उपलब्ध और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले टूथब्रुशों के कई मॉडलों कि जांच की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि बांस से बना टूथब्रश पर्यावरण के लिए ज्यादा बेहतर है ।

जमीन पर प्लास्टिक प्रदूषण में इजाफा कर रहे हैं सिंथेटिक कपड़ों से निकला माइक्रोफाइबर

हर साल करीब 176,500 मीट्रिक टन सिंथेटिक माइक्रोफाइबर जमीन पर जमा हो रहा है, जिसके लिए पॉलिएस्टर और नायलॉन से बने कपडे जिम्मेवार हैं

अभी तक इसी बात की जानकारी थी कि धुलाई के दौरान कपड़ों से निकलने वाले माइक्रोफाइबर हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफ़ोर्निया द्वारा किये इस नए शोध से पता चला है कि इसका एक बड़ा हिस्सा जमीन पर भी जमा हो रहा है जोकि जल स्रोतों में जमा माइक्रोफाइबर से भी ज्यादा है। यह शोध अंतराष्ट्रीय जर्नल प्लोस वन में प्रकाशित हुआ है।

1950 से 2017 के बीच करीब 920 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन किया गया था जिसमें से 530 करोड़ मीट्रिक टन प्लास्टिक को लैंडफिल या फिर खुले वातावरण में डंप कर दिया गया था। गौरतलब है कि प्लास्टिक के करीब 14 फीसदी हिस्से को कपड़ों के लिए सिंथेटिक फाइबर बनाने में प्रयोग किया जाता है। मूल रूप से यह माइक्रोफाइबर लंबाई में 5 मिलीमीटर से छोटे रेशे होते हैं। जब इन कपड़ों को धोया जाता है तो इनसे बड़ी मात्रा में यह माइक्रोफाइबर उत्पन्न होते हैं। पिछले कई वर्षों से जल स्रोतों में जमा होने वाले माइक्रोफाइबर पर ही विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है पर वो अकेले ही नहीं हैं जहां कपड़ों से निकले माइक्रोफाइबर जमा होते हैं। जब धोने का पानी ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है तो यह माइक्रोफाइबर भी उनके जरिए गाद के रूप में जमा हो जाते हैं, जिन्हें या तो खेतों या फिर लैंडफिल में डाल दिया जाता है।

पेयजल में बढ़ रहा है माइक्रो प्लास्टिक : डब्ल्यूएचओ

विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी 124 पेजों की नयी रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी पीने के पानी में तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इससे इंसानों को किसी तरह का खतरा है। हालांकि, इसके साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह बात भी मानी है कि इसको पूरी तरह से यह समझने के लिए अभी और अधिक शोध करने की आवश्यकता है । जिससे हम यह जान सके कि प्लास्टिक पर्यावरण में कैसे फैलता है और मानव शरीर को किस तरह प्रभावित कर करता है।

मूलतः माइक्रोप्लास्टिक की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक के बहुत छोटे अंश या रेशे हैं। जिनका आकार सामान्यतः 5 मिमी से कम होता है। हालांकि पीने के पानी में यह कण 1 मिमी जितने छोटे भी हो सकते हैं।

जलवायु परिवर्तनः चार बच्चों ने किया 33 देशों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज

पुर्तगाल के चार बच्चों और दो नवयुवाओं ने मिल कर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय के आगे 33 देशों के ख़िलाफ जलवायु परिवर्तन को गति देने के लिए एक मुक़दमा दर्ज कर दिया है।

स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के सामने दर्ज इस मुक़दमे में पुर्तगाल के इन चार बच्चों और दो नवयुवाओं ने जलवायु संकट को बढ़ाने के लिए 33 देशों को जवाबदेह ठहराया है। ग्लोबल लीगल एक्शन नेटवर्क के समर्थन के साथ लाया गया यह मामला जलवायु परिवर्तन के उनके जीवन और उनके शारीरिक और मानसिक भलाई और स्वास्थ्य के लिए बढ़ते खतरे पर केंद्रित है। सफल होने पर, 33 देश कानूनी रूप से बाध्य होंगे, न केवल उत्सर्जन में कटौती करने के लिए, बल्कि उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित जलवायु परिवर्तन में विदेशी योगदान से निपटने के लिए भी।

पुर्तगाल के नब्बे साल में सबसे गर्म जुलाई रिकॉर्ड किए जाने के बाद मामला फाइल/दर्ज किया गया है। क्लाइमेट एनालिटिक्स द्वारा मामले के लिए तैयार की गई एक विशेषज्ञ रिपोर्ट में पुर्तगाल को एक जलवायु परिवर्तन "हॉटस्पॉट" के रूप में वर्णित किया गया है जो तेजी से घातक गर्मी के चरम को सहने के लिए सेट/तैयार है। चार युवा-आवेदक लीरिया में रहते हैं, जो विनाशकारी जंगल की आग की चपेट में आने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें 2017 में 120 से अधिक लोग मारे गए थे। शेष दो आवेदक लिस्बन में रहते हैं, जहां अगस्त 2018 में हीटवेव के दौरान 440उ का एक नया तापमान रिकॉर्ड स्थापित किया गया था। वार्मिंग के लगभग 3 डिग्री सेल्सियस की ओर जाने वाले वर्तमान मार्ग पर, वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि पश्चिमी यूरोप में हीटवेव से 2071-2100 की अवधि तक पश्चिमी यूरोप में हीटवेव से होने वाली मौतों में तीस गुना वृद्धि होगी।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिन सरकारों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, वे युवा-आवेदकों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक गहरे

और तत्काल उत्सर्जन में स्पष्ट रूप से कटौती करने में असफल रही हैं। उनके वकील आधिकारिक क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का हवाला देते हैं जो देशों की उत्सर्जन कटौती नीतियों की विस्तृत रेटिंग प्रदान करता है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, रूस, तुर्की और यूक्रेन के लिए इसकी रेटिंग - जो मुकदमा दायर होने वाले 33 देशों को कवर करते हैं - बताते हैं कि पेरिस समझौते के समग्र लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनकी नीतियां बहुत कमजोर हैं। इस मामले पर मुक़दमा दर्ज करने वाले दो नवयुवाओं में से एक, कैटरिना मोटा, कहती हैं, " मुझे यह जानकर घबराहट होती है कि हमारे द्वारा सहन की गई रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीट वेव्स केवल शुरुआत हैं। इसे रोकने के लिए इतना कम समय बचा है, सरकारों को ठीक से हमारी रक्षा करने के लिए मजबूर करने के लिए, हमें वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। इस मामले पर GLAN के साथ जुड़े हुए कानूनी अधिकारी गैरी लिस्टन का मानना है, ''यह मामला ऐसे समय में दायर किया जा रहा है जब यूरोपीय सरकारें कोविड -19 द्वारा प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं को बहाल करने के लिए अरबों खर्च करने की योजना बना रही हैं। यदि वे जलवायु तबाही को रोकने के लिए अपने कानूनी दायित्वों के बारे में गंभीर हैं, तो वे इस धन का उपयोग जीवाश्म ईंधन से एक कट्टरपंथी और तेजी से संक्रमण को सुनिश्चित करने के लिए करेंगे। यूरोपीय संघ के लिए विशेष रूप से इसका मतलब है कि 2030 तक न्यूनतम 65% उत्सर्जन में कमी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना। अगर यह एक ग्रीन रिकवरी वसूली नहीं है तो कोई सच्ची रिकवरी नहीं है।"

मुक़दमा दायर करने वाले यह छह नाम हैं: क्लाउडिया एगोस्टिन्हो (21), कैटरिना मोटा (20), मार्टिम अगस्टीनो (17), सोफिया ओलिवेरा (15), आंद्रे ओलिवेरा (12), और मारियाना अगोस्तिन्हो (8)।

मुख्यमंत्री ने अनुमोदन हेतु अपनी सहमति दी

रांचीः मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने एनटीपीसी परियोजना टंडवा क्षेत्र में पड़ने वाली गरही जलाशय योजना के लिए अर्जित भूमि के आंशिक रकबा वापसी संबंधी मंत्रिपरिषद हेतु संलेख प्रारूप पर अनुमोदन हेतु अपनी सहमति दी है। भू-अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा-48 एवं भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-93 (1) के तहत एनटीपीसी परियोजना टंडवा क्षेत्र में पड़नेवाली गरही जलाशय योजना के लिए अर्जित भूमि में से आंशिक रकबा-25.27 एकड़ भूमि का वापसी अधिसूचना निर्गत किया जाए, यह प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा विभागीय (मुख्य) मंत्री के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

अटॉर्नी जनरल के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2020 को भारत के अटॉर्नी जनरल के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में आदेश में केंद्र सरकार से मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 की धारा 115 की वैधता को सही ठहराने के विषय में पूछा गया है, जो वास्तव में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 309 की उपेक्षा करती है। यह फैसला लोगों के आत्महत्या करने के प्रयासों को रोकने के सन्दर्भ में दायर एक याचिका पर आया है। गौरतलब है कि लोगों ने चिड़ियाघर में जानवरों के बाड़े में खुद को फेंक कर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। आत्महत्या करने की कोशिश का यह कृत्य धारा 309 के तहत अपराध है। जबकि मेंटल हेल्थकेयर एक्ट, 2017 की धारा 115, आईपीसी की धारा 309 को प्रभावित कर रही है। यही वजह है कि इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है।

उत्तराखंड में डोलोमाइट का अवैध खनन

एनजीटी ने 16 सितंबर को निर्देश दिया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट में गांव डंडू, तहसील डीडीहाट, जिला पिथौरागढ़, उत्तराखंड में डोलोमाइट के खनन से होने वाली क्षति को रोकने के लिए दी गई सिफारिशों पर कार्रवाई करे। रिपोर्ट में सिफ़ारिशें की गई थी कि

निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुपालन तक किसी को भी खनन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

खदान से सामग्री के रिसाव के कारण पट्टा क्षेत्र और इसके आसपास के प्रभावित क्षेत्र का भू-संदर्भित ड्रोन सर्वेक्षण करना

गुरुत्वाकर्षण या बारिश या अन्य द्वारा पट्टे क्षेत्र के बाहर लुढ़कने / बहने से सामग्री को रोकने के लिए सभी उचित, तत्काल कार्रवाई करें और वचन दें कि भविष्य में खनन पट्टे क्षेत्र के बाहर अपशिष्ट पदार्थ / कूड़ा-कर्कट को नहीं फेंका जाएगा।

कौशल भारत व्यक्ति के कौशल को विकसित करता है:राज्यपाल

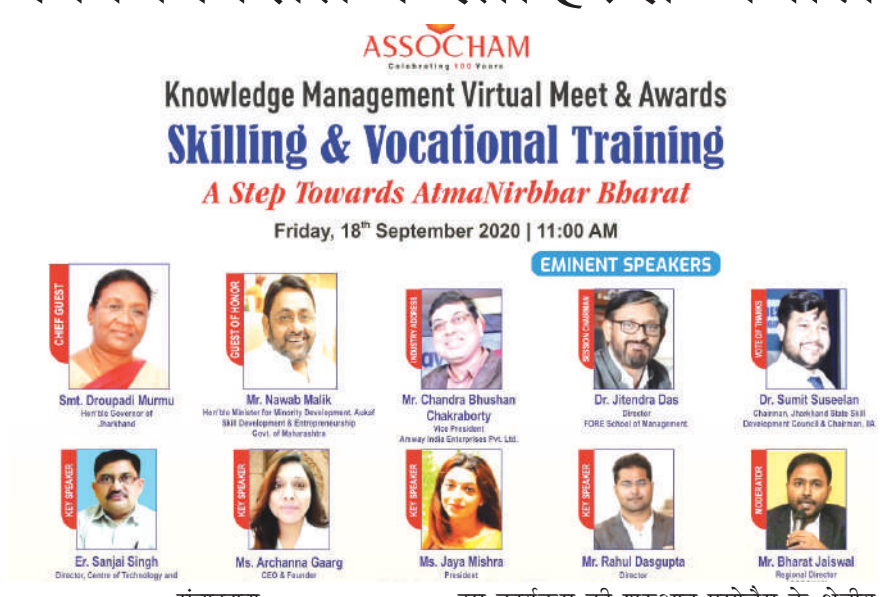

संवाददाता

रांची : कौशल विकास पर वर्तमान परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए, एसोचैम 18 सितंबर 2020 को एक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड की राज्यपाल श्रीमती द्रोपदी मुर्मू ने कहा कि स्किलिंग और आत्मनिर्भर भारत पर चर्चा समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कौशल भारत व्यक्ति के कौशल को विकसित करता है और उसे आत्म निर्भर बनाता है। सरकार ने कौशल विकास के लिए कई पहल की हैं। स्किल इंडिया का मुख्य लक्ष्य भारतीय युवाओं की प्रतिभाओं के विकास के लिए अवसर, स्थान और गुंजाइश बनाना और उन क्षेत्रों को अधिक विकसित करना है जो पहले से ही पिछले कई वर्षों से कौशल विकास के तहत रखे गए हैं। नए क्षेत्रों के लिए कौशल विकास को पहचानना भी स्किल इंडिया का मुख्य लक्ष्य होगा। 2022 तक, हमारे देश के गांवों स करोड़ो युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना स्किल इंडिया का लक्ष्य रहेगा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव रखे गए है। कंपनियां अब ऐसे व्यक्तियों की तलाश में हैं, जिनके पास न केवल शैक्षणिक योग्यता है, बल्कि कौशल और अनुभव भी है जो उन्हें काम करने के लिए तैयार रखता हैं।

इस कार्यक्रम की शुरुआत एसोचैम के क्षेत्रीय निदेशक भरत जायसवाल द्वारा स्वागत भाषण से हुई। उन्होने कहा कि कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और राष्ट्र विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और वे साथ-साथ चलते हैं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह देश के कार्य बल के लिए एक आवश्यक तत्व है और कुशल कार्यबल को समय के साथ फिर से प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। वर्तमान महामारी का माहौल आत्मनिर्भरता के लिए कौशल और आजीविका की योजना बनाने के लिए रणनीतियों की जरूरत है।

कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर नवाब मलिक, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, ने कहा कि भारत कृषि में आत्मनिर्भर है यहां तक कि अन्य देशों को भी निर्यात करता है। भारत को आत्म निर्भर होने के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से अधिक सुसज्जित होने की आवश्यकता है। औद्योगिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए । कार्यक्रम में अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार साझा किए जिनमें डॉ जितेंद्र दास,जया मिश्रा, संजय सिंह, सीबी चक्रवर्ती, अर्चना गर्ग,राहुल दासगुप्ता प्रमुख थे। डॉ. सुमित सुशीलन,ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

मैं एक बार सोंच लिया तो पीछे नहीं हटता :लौंगी भुइंया

30 साल में पहाड़ काट कर गांव तक नहर बना दिया

बिहार के गया जिले के कोठिलवा गांव के रहने वाले लौंगी भुइंया ने तीस सालों के अथक परिश्रम के बाद पहाड़ काट कर नहर बना दिया और पहाड़ों के बीच घिरा हुआ जल अब नहर के माध्यम से गांव तक पहुंच रहा है जिससे धान की खेती भी हो रही है। लौंगी भुइंया बताते हैं कि गांव से सटे बंगेठा पहाड़ पर बकरी चराते हुए लौंगी भुइंया के मन में एक दिन ये ख्याल आया कि अगर गांव में पानी आ जाए तो पलायन रुक सकता है, फसल उगाई जा सकती है.

लौंगीभुइंया ने देखा कि बरसात का सारा पानी बंगेठा पहाड़ के बीच में ठहर जाता है, उन्हें इससे उम्मीद की रोशनी दिखी.फिर पूरे इलाके में घूमकर पहाड़ पर ठहरे पानी को गौश्र से देखा और पहाड़ को काटकर नहर बनाने में लग गये। यह श्रमसाध्य काम था और इसे पूरा करने में तीस साल लग गये लेकिन अंततः उन्होंने पहाड़ के पानी को गांव के तालाब में पहुंचा दिया।

इस काम के शुरूआत में इनकी पत्नी तक ने कहा था कि ये मुश्किल काम है, पर लौंगी भुइंया का कहना है कि एक बार मैने जो तय कर लिया तो उसे फिर पूरा किये बगैर नहीं रहता। वह अपने काम से जब-जब फुर्सत मिलता, उसमें नहर काटने का काम करते थे। आज लौंगी भुइंया के इस भगीरथ प्रयास की सफलता के बाद आसपास के तीन गांव के किसानों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, लोगों ने इस बार धान की फ़सल भी उगाई है।

लौंगी भुइंया कहते हैं कि दशरथ मांझी के बारे में मुझे बाद में जानकार मिली मैं तो अपने जुनून में था और सोंचता था कि गांव में पानी आ जाएगा तो खेती होने लगेगी। अब जब गांव में पानी आ गया है तो सबसे ज्यादा खुश गांव के किसान हैं। अब उनके इस उपलब्धि को देख आनंद महिंद्र ने लौंगी भुइंया को ट्रैक्टर देने की घोषणा की है। आनंद महिंद्रा ने कहा कि "उनको को ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। हमारे लिए सम्मान कि बात होगी कि वो हमारा ट्रैक्टर इस्तेमाल करें. मेरी नज़र में उनकी ये नहर किसी ताजमहल या पिरामिड से कम प्रभावशाली नहीं है। लौंगी भुंइया ने खुद कहा था कि उन्हें एक ट्रैक्टर मिल जाये तो अच्छी खेती कर सकेंगे।

पर्यावरण के अनुकूल नहीं है तारापुर औद्योगिक क्षेत्र का सीईटीपी

रिपोर्ट में निम्नलिखित बातों का जिक्र किया गया है जहां पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया है

- **सीईटीपी से निकल रहे एफ्लुएंट की गुणवत्ता तय सीमा से कहीं ज्यादा खराब थी और वो निरंतर नियमों को अनदेखा कर रहा था।**
- **सीईटीपी का हाइड्रोलिक लोड तय सीमा से कहीं ज्यादा था, साथ ही उससे निरंतर अवैध रूप से कचड़ा निकल रहा था।**
- **सीईटीपी में स्लज का ठीक तरह से प्रबंधन नहीं हो रहा था, साथ ही उसमें निरंतरता का भी आभाव था।**
- **सीईटीपी की सभी प्रमुख ट्रीटमेंट यूनिट्स और स्लज जमा करने इकाइयां ठीक से काम नहीं कर रही थी।**
- **सीईटीपी का इनलेट और आउटलेट फ्लो मीटर की माप सही नहीं थी साथ ही उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था।**

तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) पर दूसरी संयुक्त जांच रिपोर्ट 16 सितंबर, 2020 को आम जनता के लिए उपलब्ध कर दी गई है। यह रिपोर्ट एनजीटी के आदेश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत द्वारा तैयार की गई है। एनजीटी ने इस मामले में 22 सितंबर, 2019 और 26 सितंबर, 2019 को आदेश जारी किए थे।गौरतलब है कि इस मामले में एनजीटी ने सीपीसीबी को निर्देश दिया था कि वो एमपीसीबी के साथ मिलकर इस सीईपीटी की व्यापक निगरानी करे और उसपर हर तीन महीने के अंदर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट के अनुसार 12 मार्च, 2020 को संयुक्त जांच के समय इस सीईटीपी से विभिन्न नमूने लिए गए थे। जिनके विश्लेषण से पता चला है कि 13 नवंबर, 2019 को की गई पिछली जांच के बाद से इस प्लांट के प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं आया है।

एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत करे : एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 31 जनवरी, 2021 तक प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के तहत आने वाले भूमि उपयोग लैंड कवर मैपिंग पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार क्षेत्रीय योजना के संदर्भ में एनसीजेड के अंतर्गत आने वाली भूमि के उपयोग के मुद्दे पर विचार किया गया। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 9 सितंबर की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एनआरएससी को 1999 और 2019 की दो अवधियों के लिए 1:50,000 स्केल पर एलआईएसएस तृतीय डेटा का उपयोग करके एलआईएसएस नक्शा बनाना चाहिए। नक्शे की वर्गीकरण योजना को इस तरह से चुना जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र स्पष्ट रूप से मानचित्रण किए जाए। प्रयोग के अंतिम आउटपुट को अंतिम रूप देने से पहले जमीनी हकीकत पर जोर दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो, एनआरएससी संबंधित संगठनों से एनसीआरपीबी में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों की पहचान के लिए प्रासंगिक विषयगत आंकड़े प्राप्त कर सकता है। एक ही उपग्रह डेटा (सेंसर), स्केल और कार्यप्रणाली से उत्पन्न दो तुलनीय उत्पाद डेटा सेट प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन करते हैं अर्थात यह दो समय अवधि (1999 और 2019) में कैसे बदल गया। एनसीआरपीबी के तहत आने वाले क्षेत्र में सभी घटक राज्यों में समय के साथ बदलाव आया है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक जिलों को जोड़ा गया है। समानता के लिए, रिपोर्ट में विचार किया गया था कि वर्तमान सीमा एनसीआरपीबी को दोनों वर्षों यानी 1999 और 2019 के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

रांची रेल मंडल में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का तीसरा दिन

संवाददाता

रांची रेल मंडल में 16 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत तीसरे दिन 18 सितंबर 2020 को मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ के नेतृत्व में रांची स्टेशन पर वृहत श्रमदान के साथ स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में मुख्य फोकस स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया, प्लेटफार्म इत्यादि पर प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर रहा। मंडल रेल प्रबंधक ने स्वयं श्रमदान कर कचरा साफ किया। कोविड-19 से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे, सफाई-कर्मियों के बीच सेनेटाइजर, मास्क, ग्लव्स ,टोपी आदि का वितरण किया गया। वेंडरों व अन्य रेल उपभोक्ताओं को इस संबंध में रेलवे परिसर के महत्वपूर्व स्थानों पर स्वच्छता संबंधी बैनर ,पोस्टर लगाकर जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन, रेलवे परिसर ,रेलवे कॉलोनी, कोचिंग डिपो आदि सभी जगहों पर साफ सफाई और जागरूकता हेतु अभियान चलाया गया। इस अभियान में अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, , राजीव रंजन रसिक,वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी संजीव कुमार, रांची रेल मण्डल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य नवजोत अलंग, महेन्द्र जैन के अलावा ,स्काउट एंड गाइड के सदस्य एवं यूनियन के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।

हटिया रेलवे स्टेशन पर ,अजीत सिंह यादव के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक इन्फ्रा अजीत सिंह यादव ने स्वयं भी साफ सफाई कर श्रमदान किया। अभियान में स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग एरिया तथा प्लेटफार्म पर सफाई की गई इस अभियान में मुख्य चिकित्साधीक्षक जी सी हेंब्रम, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिकशंकर, वरिष्ठ मण्डल दूरसंचार अभियंता एस उरांव सहित एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों ने भाग लिया तथा मंडल के अन्य सभी स्टेशनों एवं कार्यालयों में भी स्वच्छता अभियान चलाया गया।

सीसीएल में डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान के उद्घाटन सहित रक्तदान शिविर का आयोजन

रांची : 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची में भारतरत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर को समर्पित 'डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान'का उद्घाटन सीसीएल के सीएमडी पी.एम. प्रसाद ने किया । सीएमडी एवं उपस्थित विशिष्टगणों ने पार्क में स्थापित बाबा साहेब की मुर्ति पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजली दी। पार्क में सीएमडी पी.एम. प्रसाद, निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव एवं सीवीओ एस.के. सिन्हाने पौधारोपण भी किया।

इस अवसर पर सोशल डिस्टेंशिंग का पालन करते हुये सीसीएल के सीएमडी के तकनीकी सचिव/महाप्रबंधक एम.वी. रजीमवाले महाप्रबंधक (पी. एण्ड आई आर.) उमेश सिंह, महाप्रबंधक (सीएसआर),ए.के. सिंह,निदेशक (कार्मिक) के तकनीकी सचिव गुजंन कुमार सिन्हा, ऑल इंडिया एससी/एसटी एवं बीसी इम्पोलाईज कॉडिनेंशन कॉनशील के बृजकिशोर राम एवं सदस्यगण (सीसीएल मुख्यालय, सीसीएल गांधीनगर आदि) सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, कर्मचारी, श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

सीएमडी, पी.एम. प्रसाद ने प्रणाली विभाग, सीसीएल मुख्यालय, रांची में देव-शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना करते हुये सभी को विश्वकर्मा पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है और कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुये शिल्प के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जा रही है।

सीसीएल ने केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर, रांची एवं रामगढ़ केन्द्रीय अस्पताल में कोविड एवं अन्य मरीजों के बीच लगभग 150 फुड पैकेट का वितरण किया । 17 सितम्बर को सीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल, गांधीनगर में 'रक्तदान शिविर'का आयोजन किया गया जिसमें सभी मापदंडों को अपनाते हुये 17 ब्लड युनिट जमा किया गया। इस अवसर पर सीएमएस, सीसीएल सी.पी. धाम सहित डॉ. मजू मिश्रा, डॉ डी.के.एल. चौहान, डॉ रत्नेश जैन, डॉ अंजना झा सहित अन्य चिकित्सकगण एवं पारा-मेडिकल स्टाफ उपस्थित थे। सीसीएल के निदेशक (कार्मिक) विनय रंजन के मार्गनिर्देशन में कोरोना महामारी के संकट काल में सीसीएल कोयला उत्पादन के साथ-साथ अपने स्टेकहोल्डर्स पर भी विशेष ध्यान रख रहा है। इसी कड़ी में सीसीएल की टीम - महाप्रबंधक (पी.एण्ड.आर.आर) उमेश सिंह, मुख्य प्रबंधक (कार्मिक) अबिनाश श्रीवास्तव, वरीय प्रबंधक (प्रशासन) संजय कुमार एवं अन्यने ओरमांझी, रांची (एनएच -33) स्थित 'शांति सदन'गयी थी वहां पर सदन में महिलाओं के बीच 50 फल पैकेट का वितरण किया गया।

सीएमपीडीआई में चिकित्सा शिविर व पौधारोपण का आयोजन किया गया

रांची : सीएमपीडीआई में 17 सितम्बर, 2020 को प्रातः 9 बजे से बिरसा उच्च विद्यालय, हथिया गोंदा, डैम साइड, कांके, रांचीमें 'सेवा सप्ताह' के दौरान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। सीएमपीडीआई के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 ओम प्रकाश एवं डॉ0 (श्रीमती) शिल्पी स्वरूप ने चिकित्सा शिविर में आसपास के 201 निवासियों का मेडिकल चेक-अप किया तथा आयरन, कैल्शियम, कफ सिरप, कृमिनाशक जैसी जरूरी दवा निशुल्क वितरण की गयी। इसके साथ ही,सामाजिक गतिविधियांके तहत सीएमपीडीआई के महाप्रबंधक श्रीमती सुनीता मेहता तथा महाप्रबंधक (एचआरडी) आलोक कुमार ने गरीब एवं जरूरतमंदों के बीच फुड पैकेट तथा बड़ी मात्रा में पौधा वितरित किया। साथ ही सीएमपीडीआई के डिस्पेंसरी मेंपूर्वाह्न 11 बजे से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन ने किया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक ए0के0 राणा एवं निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) एस0के0 गोमास्ता उपस्थित थे। इस शिविर में कुल 17 व्यक्तियों ने रक्तदान किया जिसेगांधी नगर अस्पताल, सीसीएलके ब्लड बैंक में जमा करा दी गयी।

सीएमपीडीआई केसभी सात क्षेत्रीय संस्थानों एवं ड्रिलिंग कैम्पों द्वारा अपने-अपने कमांड एरिया में इस तरह की सामाजिक गतिविधियां आयोजित की गयी जिसमें पौधारोपण, गरीबों एवं मजदूरों में खाद्य सामग्री वितरण शामिल है। क्षेत्रीय संस्थान-4, नागपुर तथा क्षेत्रीय संस्थान-5, बिलासपुर में उद्यान का नवीकरण कर क्रमशः ''सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान'' एवं ''डॉ0 भीम राव अम्बेदकर उद्यान'' किया गया वहीं क्षेत्रीय संस्थान-7, भुवनेश्वर में भी एक उद्यान का नवीकरण कर ''सरदार वल्लभ भाई पटेल पुष्प उद्यान'' के रूप में नामकरण किया गया।

प्रकृति को बचाने के सभी लक्ष्य अधूरे हैं

एजेंसियां

1970 के बाद से 70 प्रतिशत के करीब जंगली जानवर, पक्षी और मछलियां गायब हो गई हैं(संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि प्रकृति को संरक्षित करने और पृथ्वी की महत्वपूर्ण जैव विविधता को बचाने के लिए, एक दशक पहले सभी देशों ने खुद के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे। जिन्हें एक तय समय सीमा में पूरा किया जाना था, लेकिन आज भी सभी लक्ष्य अधूरे हैं।

हाल ही के डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के आकलन के अनुसार, पिछले पांच दशकों में प्राकृतिक दुनिया पर मानवता का प्रभाव तबाही से कम नहीं रहा है। 1970 के बाद से 70 प्रतिशत के करीब जंगली जानवर, पक्षी और मछलियां गायब हो गई हैं। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता पर पैनल आईपीबीईएस ने चेतावनी दी थी कि मानव निर्मित गतिविधि के रूप में 10 लाख (एक मिलियन) प्रजातियां विलुप्ति का सामना कर रही हैं। पृथ्वी पर तीन चौथाई भूमि को गंभीर रूप से खराब कर दिया गया है।

2010 में हुए संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी में 190 सदस्य देशों ने 2020 तक प्राकृतिक दुनिया में हो रहे नुकसान को सीमित करने के लिए योजना बनाई थी। 20 उद्देश्यों में जीवाश्म ईंधन की सब्सिडी को समाप्त करना, जीवों के निवास स्थान को होने वाले नुकसान को सीमित करना और मछली के भंडार की रक्षा करना शामिल था। लेकिन मंगलवार को जारी अपने नवीनतम ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (जीबीओ) में यूएन ने कहा कि इनमें से एक भी लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है। आईपीबीई एस के कार्यकारी सचिव ऐनी लैरीगुडीरी ने बताया कि हम इस समय एक व्यवस्थित तरीके से मनुष्यों को छोडंकर सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए आगे आने वाला वर्ष प्रकृति और जलवायु की कूटनीति के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन में पाया गया कि जैव विविधता के किसी भी लक्ष्य को पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया है। कोरोनोवायरस महामारी के कारण इस साल होने वाले दो बड़े जैव विविधता शिखर सम्मेलन की योजनाओं को स्थगित कर दिया है। कॉप 15 वार्ता और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ़ नेचर कांग्रेस दोनों जिनमें से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से था, अब इन्हें 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव एलिजाबेथ मारूमा म्रेमा ने बताया कि समाज प्रकृति के महत्व के बारे में जाग रहा है। कोविड ने स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि वनों की कटाई, जंगलों में मानव अतिक्रमण का हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन पर प्रभाव पड़ता है।

लोगों ने महसूस किया है कि सबसे खतरनाक प्रजाति हम अथवा मनुष्य हैं और उन्हें खुद भूमिका निभाने और उद्योगों में बदलाव के लिए दबाव डालना होगा। यह आकलन एक दशक से 2030 के दौरान प्रकृति को हो रहे नुकसान को दूर करने के लिए तरीका बताता है, जिसमें हमारी कृषि प्रणाली में व्यापक बदलाव और भोजन की बर्बादी और खपत में कमी शामिल है। संरक्षण में एक प्रमुख घटक स्वदेशी आबादी है जो दुनिया भर में लगभग 80 प्रतिशत जैव विविधता को नियंत्रित करती है। राइट्स एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव के समन्वयक एंडी व्हाइट ने बताया कि स्वदेशी सशक्तीकरण पर जोर देने वाले 150 से अधिक समूहों का एक वैश्विक गठबंधन है। व्हाइट ने कहा कि उन्हें स्वदेशी भूमि अधिकारों को बढ़ावा देकर संरक्षित किया जाना चाहिए। पृथ्वी और उसके लोगों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा के लिए यह एक आजमाया हुआ समाधान है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी आउटलुक (जीबीओ) में कहा गया है कि पिछले दशक में प्रकृति की रक्षा की दिशा में कुछ प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, वनों की कटाई की दर पिछले दशक की तुलना में लगभग एक तिहाई कम हो गई है।

2000 के बाद से 20 साल की अवधि में संरक्षित क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूमि से 15 प्रतिशत और तीन प्रतिशत महासागरों से कम से कम सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन रिपोर्ट में विस्तृत प्रकृति के खतरों के बीच जीवाश्म ईंधन सब्सिडी का निरंतर प्रचलन बताया गया है। जिसका अनुमान अध्ययनकर्ताओं ने लगभग 3,68,71,25 करोड़ रुपये (500 बिलियन डॉलर) सालाना लगाया है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी जैव विविधता के लिए और ज्यादातर मामलों में आर्थिक और सामाजिक रूप से हानिकारक है।संयुक्त राष्ट्र के आकलन पर प्रतिक्रिया करते हुए, ब्रिटेन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में जीवन विज्ञान विभाग के एंडी पुर्विस ने कहा कि यह चौंकाने वाला है कि दुनिया अपने स्वयं के प्रकृति संरक्षण के सभी 20 लक्ष्यों को अधूरे छोड़ने के लिए तैयार है।

वैज्ञानिकों नें सीओ2 को एथिलीन में बदलने का सबसे प्रभावी तरीका विकसित किया

एथिलीन दुनिया भर में प्लास्टिक, सॉल्वैंट्स, सौंदर्य प्रसाधन आदि के उत्पादन के उपयोग में आने वाला एक महत्वपूर्ण केमिकल है

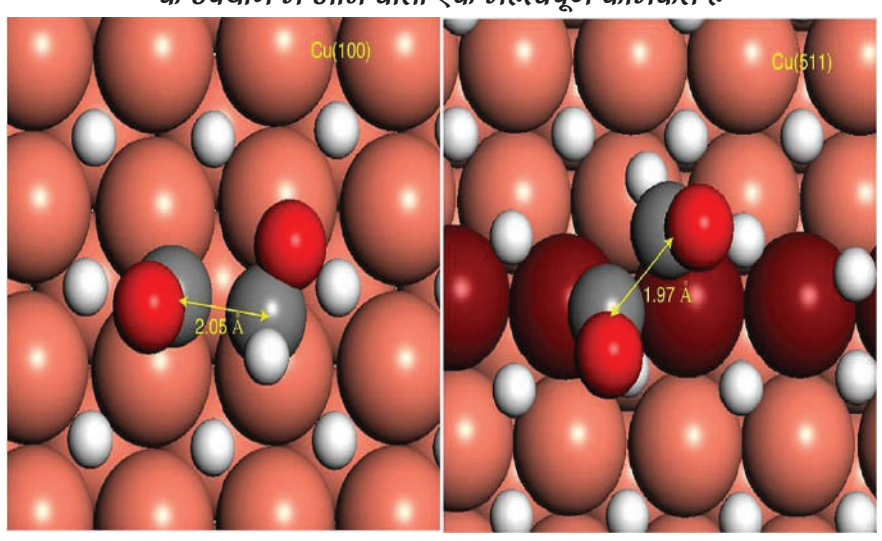

कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीनहाउस गैस के रूप में जाना जाता है। एक नए अध्ययन में बताया गया है कि निरंतर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से वैश्विक समुद्र का स्तर लगभग 40 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। इस तरह की वृद्धि का दुनिया भर में विनाशकारी प्रभाव होगा। तूफानों की विनाशकारी शक्ति में वृद्धि होगी और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को बार-बार गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। यदि इस तरह की घटनाओं से बचना है तो हमें इनका समाधान ढूढ़ना होगा। इसी क्रम में वैज्ञानिकों नें कार्बन डाइऑक्साइड को एक अन्य कीमती केमिकल में बदलने का तरीका निकाला है ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।

कैलिफोर्निया इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी (कैल्टेक) और यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया-लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) की सैमुअली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की एक शोध टीम ने कार्बन डाइऑक्साइड को एथिलीन में कुशलतापूर्वक परिवर्तित करने के लिए एक तरीका विकसित किया है। एथिलीन दुनिया भर में प्लास्टिक, सॉल्वैंट्स, सौंदर्य प्रसाधन और अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण केमिकल है।

वैज्ञानिकों ने एक रासायनिक प्रतिक्रिया करने के लिए विशेष रूप के आकार की सतहों के साथ नैनोस्केल तांबे के तारों का विकास किया है। जो एथिलीन पैदा करते समय ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। एथिलीन एक कीमती केमिकल है। प्रतिक्रिया की गणना से पता चलता है कि उत्प्रेरक के आकार के आधार पर हाइड्रोजन या मीथेन पर एथिलीन का उत्पादन करता है। यह अध्ययन नेचर कैटलिसिस में प्रकाशित किया गया है। अध्ययनकर्ता और यूसीएलए में सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग के प्रोफेसर यू हुआंग ने कहा, हम वैश्विक जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यह सामग्री जो कुशलता से ग्रीनहाउस गैसों को मूल्यवान ईंधन में बदल सकती है। यह प्रक्रिया रासायनिक आपूर्ति को तेजी से पूरा करके जीवाश्म ईंधन पर रोक लगाती है। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पूरा प्रयोग और सैद्धांतिक विश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग के लिए एक स्थायी मार्ग प्रस्तुत करता है।

वर्तमान में एथिलीन का वैश्विक वार्षिक उत्पादन 15.8 करोड़ (158 मिलियन) टन है। इसमें से अधिकांश को पॉलीथीन में बदल दिया जाता है, जिसका उपयोग प्लास्टिक पैकेजिंग में किया जाता है। एथिलीन को हाइड्रोकार्बन से संसाधित किया जाता है, जैसे प्राकृतिक गैस। विलियम ए ने कहा इस प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए तांबे का उपयोग उत्पादन में तेजी लाने के लिए किया गया, ताकि औद्योगिक उत्पादन काफी तेजी से हो सके। गोडार्ड और उनके सहयोगियों ने कहा यह अध्ययन एक ऐसा रास्ता दिखाता है, जिसमें एक उद्योग सीओ2 का उपयोग कर एथिलीन उत्पाद में बदलने की क्षमता रखता है, अन्यथा यह सीओ2 वायुमंडल में जाकर मिल जाएगी। गोडार्ड सह-अध्ययनकर्ता और कैलटेक के चार्ल्स और मैरी फे-रकेल रसायन विज्ञान, सामग्री विज्ञान और एप्लाइड भौतिकी के प्रोफेसर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) को एथिलीन प्रतिक्रिया (सी2एच4) में कमी करने के लिए तांबे के उपयोग के दौरान दो बार प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले, प्रारंभिक रासायनिक प्रतिक्रिया ने हाइड्रोजन और मीथेन का उत्पादन किया। दूसरे में एथिलीन उत्पादन के परिणामस्वरूप, पिछला प्रयास लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि रूपांतरण दक्षता अंत में बंद हो गई क्योंकि प्रणाली चलती रही। इन दो बाधाओं को दूर करने के लिए, शोधकर्ताओं ने अत्यधिक सक्रिय "चरणों" के साथ तांबा नैनोवायर के डिजाइन पर ध्यान केंद्रित किया। जो कि परमाणु पैमाने पर व्यवस्थित सीढ़ियों के एक सेट के समान है।

साभार डाउन टू अर्थ

योग का एक महत्वपूर्ण अंग है ध्यान

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

ध्यान योग का सातवां अंग हैं ।ध्यान अपने आप में विश्राम करने की प्रक्रिया है। ये न ही निंद्रा में जाने की अवस्था है और न ही समाधि में लीन होने की।यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य अपने पूरे नियंत्रण में रहता है। यह आपके चित को ठहराव देता है अर्थात विचारहीन जागरूकता।

ध्यान के फायदे

■आत्मदर्शन -अगर हम इसे सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब है, अपने आप को समझना, अपने कमियों को पहचान कर उसपे काम करना और एक बेहतर इंसान बनने की ओर कदम बढ़ाना।

■मन शांत होना-अगर हमारा मन शांत हो तो हम बड़े से बड़े बांधा को बड़ी आसानी से पार कर सकते है और ध्यान मन शांत करने में मददगार है। एक शांत मन सही और गलत के के अन्तर को समझ कर हमेशा सही निर्णय लेने में सहायक होता है।

■क्रोध पर नियंत्रण-क्रोध मानवीय भावना का एक रूप है जो न ही हमारे शरीर के लिए अच्छा है और न ही हमारे दिमाग के लिए। क्रोध से शारीरिक और मानसिक बिमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान हमारे मन को शांत रखता है जिससे क्रोध पर नियंत्रण करना आसान होता है।

■तनाव से मुक्ति-आजकल भागदौड़ की जिन्दगी में हर व्यक्ति मानसिक तनाव का शिकार है और इसकी वज़ह से कई बिमारियों होती हैं। अगर हर दिन थोड़ा समय निकल कर ध्यान किया जाये तो हमें तनाव से मुक्ति मिलेगी।

■एकाग्रता बढ़ाना- सफल और सुखी जीवन की एक बहुत बड़ी कुंजी है एकाग्रता। जो हम काम रोज की दिनचर्या में करते है अगर उसे एकाग्रता के साथ करे तो हमे ज्यादा सफलता मिलती हैं। ध्यान एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है।

■वाणी में मिठास-"ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोये ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होय"।
ध्यान हमारे मन को शांत रखता है और लोगों से प्यार करना सिखाता है जिससे हमारे बोली में मिठास आती है।

■ऊर्जा स्तर की वृद्धि- ध्यान करने से हमारा तन और मन दोनों ही तरोताज़ा रहता है। शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हम ज्यादा सक्रिय होते हैं।

ध्यान हमे एक सम्पूर्ण इन्सान बनाने में मदद करता है, जीवन की सही राह को दिखाता है, सही और गलत का अन्तर हमे पता चलता है। हर दिन थोड़ा सा समय निकलकर अगर ध्यान किया जाये तो हमें काफी लाभ होता है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

एनजीटी ने प्लेटिनम एएसी ब्लॉक के खिलाफ पीसीसी के आदेश को कियारद्द किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 14 सितंबर, 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा मैसर्स प्लेटिनम एएसी ब्लॉक को बंद करने से संबंधित पारित आदेश को रद्द किया । न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति सोनम फेंटसो वांग्दी की पीठ ने निर्देश दिया कि एनजीटी के आदेश की एक प्रति केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली के सलाहकार को प्रेषित की जाए, ताकि पीसीसी के इस तरह के आदेश पारित करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार किया जा सके। इस तरह के "बेतुके आदेश" - अदालत के आदेशों को खत्म करने और पर्यावरण के हितों के खिलाफ है। एनजीटी का यह आदेश मैसर्स प्लेटिनम एएसी ब्लॉक द्वारा पीसीसी के द्वारा 3 फरवरी को पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील के मद्देनजर आया था। पीसीसी के आदेश में कहा गया था कि 9 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, दादरा और नगर हवेली पर लागू, फ्लाई ऐश निर्यात, ट्रांसपोर्ट और निपटान सुविधा प्रतिबंधित श्रेणी में आती है। इसलिए फ्लाई ऐश का उपयोग करके ऑटोक्लेवेटेड युक्त कंक्रीट के निर्माण को स्थापित करने की अनुमति नहीं है।

सिंथेटिक माइक्रोफाइबर के उत्सर्जन में हर साल 12.9 प्रतिशत की वृद्धि

दुनिया भर में कितना सिंथेटिक माइक्रोफाइबर उत्पन्न हो रहा है इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने इसके लिए प्लास्टिक के वैश्विक उत्पादन, खपत और वेस्ट से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें कपड़ों को मशीन और हाथ से धोने के दौरान उत्पन्न हुए माइक्रोफाइबर सम्बन्धी आंकड़ों को भी मापा गया है। साथ ही ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए कितना माइक्रोफाइबर जमा हो रहा है उसके आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं।

हालांकि यह आंकड़ें हैं कपड़ों से उनके पूरे जीवनकाल में उत्पन्न होने वाले माइक्रोफाइबर की गणना नहीं करते। उदाहरण के लिए, इसमें सेकंडहैंड कपड़ों का कोई हिसाब नहीं है। हालांकि इस शोध से पता चला है कि 1950 से 2016 के बीच कपड़ों की धुलाई से लगभग 56 लाख मीट्रिक टन सिंथेटिक माइक्रोफाइबर उत्पन्न हुआ था, जोकि सिंथेटिक फाइबर के व्यापक उपयोग की शुरुआत थी। जबकि उसका करीब आधा माइक्रोफाइबर पिछले एक दशक में उत्पन्न हुआ है। यदि सिंथेटिक माइक्रोफाइबर के उत्सर्जन को देखें तो उसमें हर साल 12.9 फीसदी की दर से वृद्धि हो रही है।

यदि आंकड़ों पर गौर करें तो इसमें से करीब 19 लाख मीट्रिक टन जमीन पर छोड़ दिया गया है। वहीं 6 लाख मीट्रिक टन लैंडफिल में डंप कर दिया गया है। जबकि यदि वर्तमान उत्सर्जन को देखें तो हर साल करीब 176,500 मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर जमीन पर छोड़ा जा रहा है। वहीं 167,000 मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर जल स्रोतों में डाला जा रहा है। जमीन पर पहुंचने वाला करीब 92 फीसदी माइक्रोफाइबर बायोसॉलिड्स के रूप में पहुंचता है 8 फीसदी वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकले अपशिष्ट जल से हो रही सिंचाई के जरिए पहुंच रहा है जबकि 3 लाख मीट्रिक टन राख के जरिए जमीन पर पहुंच रहा है

1950 से 2016 के बीच 29 लाख मीट्रिक टन माइक्रोफाइबर को जल स्रोतों में छोड़ दिया गया था। जिसका 88 फीसदी हिस्सा गंदे अपशिष्ट जल के रूप में जल स्रोतों तक पहुंच रहा है। वहीं 8 फीसदी साफ किए अपशिष्ट जल और 4 फीसदी बायोसॉलिड्स के जरिए जल स्रोतों में पहुंच रहा है।

केन्या पर अमेरिकी दादागिरी

अमेरिका का प्लास्टिक उद्योग कोरोना महामारी के चलते अपने डूबते मुनाफे को कम करने के लिए कीनिया पर दबाव बना रहा है

कीनिया विश्व के उन प्रमुख देशों में शामिल है जहां प्लास्टिक की थैलियों पर सबसे सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं।

दुनियाभर में प्लास्टिक पर प्रतिबंधों की मांग तेजी पकड़ रही है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का प्लास्टिक उद्योग कोरोना महामारी के चलते अपने डूबते मुनाफे को कम करने के लिए विकासशील देश कीनिया पर एक ऐसे समझौते का दबाव बना रहा जिससे कीनिया में लगाए गए कड़े प्लास्टिक प्रतिबंध के निमयों और अमेरिका कचरे के आयातित नियमों को ढीला किया जाए।

द न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े रासायनिक निर्माताओं और जीवाश्म ईंधन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उद्योग समूह द्वारा अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक कीनिया द्वारा प्लास्टिक पर लगे सख्त सीमा प्रतिबंध को पलटने के लिए दबाव बना रहा है। साथ ही कीनिया के लिए विदेशी प्लास्टिक कचरे का आयात जारी रखने के लिए भी दबाव डाल रहा है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि अमेरिका रसायन परिषद के निदेशक एड ब्रजित्वा ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कीनिया भविष्य में इस व्यापार समझौते के माध्यम से अफ्रिका में अमेरिकी निर्मित रसायनों और प्लाटिक की आपूर्ति के एक केंद्र के रूप में सेवा कर सकता है। यहां तक कि जब यह समझौता अभी अधर में ही है तभी कीनियाई राष्ट्रपति ने इस समझोते पर कहा कि हम इस समझौते के प्रति उदारवादी रूख अपनाएंगे। उनके इस बयान के बाद कीनिया में पर्यावरण संगठनों के बीच चिंता बढ़ गई है।

कीनिया की राजधानी नेरोबी में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन पर्यावरण और विकास केंद्र के कार्यकारी निदेशक ग्रिफिंस ओचेंग कहते हैं कि अमेरिकी रसायन विज्ञान परिषद के प्लास्टिक प्रस्ताव से अनिवार्य रूप से पर्यावरण में और अधिक मात्रा में रसायन और प्लाटिक आएगा। कई अन्य देशों की तरह ही कीनिया में भी प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर जमकर घमासान हुआ था और इसका नतीजा था कि इस देश में 2017 में प्लाटिक थैलियों के खिलाफ एक कड़ा कानून परित किया गया और कीनिया दुनियाभर के उन देशों में शामिल था, जिसने प्लाटिक कचरे के आयात को रोकने के लिए वैश्विक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्लास्टिक उद्योग ने पिछले एक दशक में अमेरिका में रासायनिक संयंत्रों पर 200 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए हैं। अमेरिका पहले से ही कई गरीब देशों की तुलना में 16 गुना अधिक प्लास्टिक का उपभोग कर रहा है। व्यापारिक आंकड़ों के अनुसार 2019 में अमेरिकी निर्यातकों ने केन्या सहित विश्वभर के 96 देशों में एक बिलियन पाउंड से अधिक प्लास्टिक कचरा भेजा।

बढ़ते तापमान से लंबी हो रही है कई जीवों की उम्र

मुरलीधर

वैसे तो जलवायु परिवर्तन सभी के लिए खतरनाक है पर वो जीव जो अपने शारीरिक गतिविधियों के लिए सूर्य की गर्मी के भरोसे पर जिन्दा रहते हैं, उनके लिए यह कुछ ज्यादा ही नुकसानदेह है हीटवेव और बढ़ते तापमान के चलते इन जीवों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। साथ ही इसके चलते इनके शरीर पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। साथ ही इन जीवों पर हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है।

इन जीवों में मछली, उभयचर और सरीसृप जीव शामिल हैं जो अपने शरीर के तापमान को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते इसके लिए उन्हें सूर्य की के प्रकाश की मदद लेनी पड़ती है। यही वजह है कि तापमान में हो रही वृद्धि का सीधा असर उनके शरीर पर भी पड़ रहा है। तेजी से बढ़ता तापमान उनके गतिविधियों को भी प्रभावित कर रहा है। इससे पहले भी पिछले वर्षों में किए गए शोधों से यह बात सामने आई है कि वातावरण में आ रहा बदलाव इन जीवों पर भी असर डाल रहा है। एक तरफ तापमान बढ़ने के कारण इनकी विकास दर भी बढ़ रही है साथ ही इसका असर इनके जीवन काल पर भी पड़ रहा है। इस शोध से जुड़े शोधकर्ता जर्मन ओरिजोला के अनुसार तापमान में हो रही वृद्धि उनके शरीर की सहन क्षमता से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। जिसका प्रभाव उनकी गतिविधियों पर पड़ रहा है। जर्नल चेंज बायोलॉजी में छपे इस शोध से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन का इन जीवों की उम्र बढ़ने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जीवों की संतान पैदा करने की क्षमता पर भी पड़ रहा है असर

ओरिजोला ने बताया कि इन जीवों की विकास दर में वृद्धि होने से शारीरिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। उदाहरण के लिए इसके चलते प्रोटीन और डीएनए को ऑक्सीडेटिव क्षति होगी। साथ ही इससे टेलोमेरेस पर भी असर पड़ेगा। टेलोमेरेस, डीएनए को सुरक्षा प्रदान करता है। जितनी तेजी से टेलोमेरेस खत्म होते हैं उतनी तेजी से कोशिकाएं खराब होती हैं और शरीर की उम्र बढ़ती है। जिसका सीधा मतलब है कि जलवायु परिवर्तन सीधे तौर पर ठन्डे रक्त वाले जीवों में उम्र की दर पर अपना असर डाल रहे हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार क्लाइमेट चेंज के चलते जिस तेजी से जीवों की उम्र बढ़ रही है उसका इन जीवों की आबादी पर गंभीर प्रभाव हो सकता है। जैसे - जैसे जीवन प्रत्याशा घटती है, उसके साथ ही उनके संतान पैदा करने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है।ऊपर से बाढ़, सूखा, बीमारियां और हीटवेव जैसी आपदाओं के चलते इन जीवों के उबरने की क्षमता पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही इन जीवों पर पड़ने वाला असर इनसे जुड़े अन्य जीवों पर भी असर डालेगा।

शोधकर्ताओं का मानना है कि इस बारे में बहुत ही सीमित खोज की गई है। उनके अनुसार इसके बारे में बेहतर समझ ने केवल जीवों पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर से निपटने में मददगार हो सकती है, साथ ही यह जानकारी इन जीवों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी बेहतर नीतियों के निर्माण में योगदान कर सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि मछलियों को ले लीजिये जिन्हें वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पकड़ा जा रहा है, तब यह समझना जरुरी हो जाता है कि जलवायु परिवर्तन इन जीवों की उम्र पर असर डाल रहा है ऐसे में इन्हें पकड़ने की दर को इनकी जनसंख्या के आधार पर तय किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रजातियां पहले ही खतरे में हैं उनपर उम्र घटने के कारण खतरा और बढ़ जाएगा, ऐसे में उनके संरक्षण के लिए सही समय पर कार्रवाई की जा सकती है। जबकि जिन जीवों के आवास पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ रहा है उन्हें वहां से अलग जगह पर भेजा जा सकता है।

लुप्त होती जा रही प्रजातियां को बचा सकते हैं संरक्षित क्षेत्र

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली शोध टीम ने खुलासा किया है कि कई लुप्तप्राय स्तनपायी प्रजातियां संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बिना ये प्रजातियां गायब हो जाएंगी

संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। यह क्षेत्र लुप्तप्राय होती जा रही प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। संरक्षण पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के अनुसार संरक्षित क्षेत्र दुनिया के भूमि क्षेत्र का लगभग 15.4 फीसदी और वैश्विक महासागर क्षेत्र का 3.4 फीसदी है। संरक्षित निवास स्थान प्रजातियों के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं।

क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली शोध टीम ने खुलासा किया है कि कई लुप्तप्राय स्तनपायी प्रजातियां संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर हैं। संरक्षित क्षेत्रों के बिना ये प्रजातियां गायब हो जाएंगी।

वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ़ क्वींसलैंड (यूक्यू) के प्रोफेसर जेम्स वाटसन ने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों की सफलता के बावजूद, संरक्षण करने के उपकरण के रूप में उनकी लोकप्रियता कम होने लगी है। वाटसन ने कहा 1970 के दशक के बाद से, दुनिया भर में संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क चार गुना बढ़े हैं। इनमें से कुछ संरक्षित क्षेत्र वन्यजीव आबादी को बचाने और यहां तक कि बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि लुप्तप्राय होने वाली प्रजातियों को बनाए रखने में वैश्विक संरक्षित क्षेत्र की संपत्ति की भूमिका के बारे में चर्चा बढ़ रही है। हमारे शोध ने जो स्पष्ट रूप से दिखाया है संरक्षित क्षेत्र, जब अच्छी तरह से वित्त पोषित होते हैं और अच्छी तरह से इनकी निगरानी की जाती है, तो खतरे वाली प्रजातियों को बचाया जा सकता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में हमने जिन 80 प्रतिशत स्तनपायी प्रजातियों की निगरानी की है। उन्होंने पिछले 50 वर्षों में कम से कम संरक्षित क्षेत्रों में विस्तार (कवरेज) को दोगुना कर दिया है।

वैज्ञानिकों ने मौजूदा 237 खतरे वाली प्रजातियों की तुलना 1970 के दशक के सीमाओं में हुए परिवर्तन को मापा, फिर उन्हें संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के साथ मिलाया हैं। प्रोफेसर वॉटसन ने कहा इसका एक अच्छा उदाहरण यह है कि एक से अधिक सींग वाले गैंडे (राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस), जिनकी संख्या अब संरक्षित क्षेत्र में 80 फीसदी है। उनकी संख्या अन्य जगहों पर कम हो गई है।

पिछले 50 वर्षों में प्रजातियों को अपने विस्तार के 99 फीसदी से अधिक सीमा का नुकसान हुआ है। अब शेष 87 प्रतिशत पशु केवल दो संरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं - भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान। यह शोध कंजर्वेशन लेटर्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। प्रोफेसर वॉटसन ने कहा कि स्तनधारी संरक्षित क्षेत्रों में पीछे हट रहे हैं और दुनिया की जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संरक्षित क्षेत्रों के बिना बाघ और पहाड़ी गोरिल्ला जैसी अद्भुत प्रजातियां गुम हो जाएंगी।यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि विलुप्त होने के संकट को समाप्त करने के लिए, हमें बेहतर वित्त पोषित और अधिक संरक्षित क्षेत्रों की आवश्यकता है। इन्हें सरकारों और अन्य भूमि प्रबंधकों द्वारा अच्छी तरह से समर्थित और प्रबंधित होना चाहिए। साथ ही, हमें उन प्रयासों को पुरस्कृत करने की आवश्यकता है जो संरक्षित क्षेत्र की सीमाओं से अलग दूसरे क्षेत्रों में वन्यजीव आबादी के पुनः विस्तार और पुनर्स्थापन को सुनिश्चित करते हैं। हमें पृथ्वी के शेष अखंड पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हों।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।